



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175389

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 11238 वर्ष 2025

सुरक्षित

अभिषेक कुमार शाही

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार सिंह, अनीश कुमार सिन्हा, बृजभूषण प्रसाद श्रीवास्तव,
धीरज श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अर्धेन्दु प्रकाश मणि त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.पी. मणि त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या 12789 वर्ष 2024, जो मुकदमा अपराध संख्या 138 वर्ष 2023, धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी भा.दं.सं., थाना भाटपार रानी, जिला देवरिया से उत्पन्न है, की संपूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 18.09.2024 के आरोप-पत्र और दिनांक 01.10.2024 के संज्ञान आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2/रितुल विषेन ने स्वयं को समाजसेवी एवं विसिल ब्लोअर बताते हुए आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके गांव, थाना भाटपार रानी, जिला देवरिया में पूर्वांचल जूनियर हाई स्कूल, पकड़ी बाबू नामक एक संस्था स्थित है। उक्त संस्था मान्यता प्राप्त एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है और इस प्रकार संस्था में शिक्षकों, प्रधानाचार्य तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। आवेदक अभिषेक कुमार शाही उक्त संस्था के प्रधानाचार्य हैं। वर्ष 2016-17 में एक शिक्षक के अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के कारण सहायक अध्यापक के पद पर एक रिक्ति उत्पन्न हुई। आरोप है कि आवेदक अभिषेक कुमार शाही ने सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे को उक्त पद पर नियुक्त कर दिया और उसके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे के पास उक्त पद पर नियुक्ति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी और आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अन्य अभियुक्तों के साथ षड्यंत्र करके उसे कूटरचित एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त किया। उन्होंने उपर्युक्त अनियमितताओं के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अन्य सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष शिकायतें कीं, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), 7वां मंडल, गोरखपुर के समक्ष की गई शिकायत तथा आई.जी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से की गई शिकायत के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे का बताया गया अनुक्रमांक आयोग की वेबसाइट अथवा ऑफलाइन अभिलेखों (टेबुलेशन रजिस्टर) में उपलब्ध नहीं था। उक्त अनुक्रमांक श्री राम बदन यादव का था। यह भी आरोप लगाया गया कि आशुतोष धर दुबे की नियुक्ति कूटरचित एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर की गई, जबकि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

4. उक्त सूचना के आधार पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच के पश्चात आवेदक अभिषेक कुमार शाही तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेते हुए उन्हें समन किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2/सूचनाकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं था तथा इस प्रकार उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सहायक अध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित की गई और सह-



अभियुक्त आशुतोष धर दुबे ने अपनी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों सहित टी.ई.टी. योग्यता का प्रमाण-पत्र विधिवत् स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी, देवरिया को चयन समिति का पर्यवेक्षक बनाया गया था, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक सम्मिलित थे। दिनांक 13.09.2015 को साक्षात्कार आयोजित किया गया और प्रमाण-पत्रों के परिशीलन तथा साक्षात्कार के पश्चात सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे का नाम चयनित किया गया तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसरण में दिनांक 15.10.2015 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 के नियम 10(4) एवं (5) के अनुसार संस्था के प्रबंधक को चयनित अभ्यर्थियों की सूची, जिसमें जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता तथा शिक्षण अनुभव का विवरण सम्मिलित हो, चयन समिति के सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजना आवश्यक है। उक्त नियमावली, 1978 के नियम 10(5)(i)(ए) एवं (बी) तथा (ii) के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों के पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता है तथा चयन के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके पश्चात उन्हें समिति द्वारा की गई संस्तुति को अनुमोदन प्रदान करना था। उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कथित अपराध में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी और चयनित अभ्यर्थी आशुतोष धर दुबे की न्यूनतम योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र का सत्यापन करना बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी थी। वर्तमान मामले में जिला बेसिक शिक्षा



अधिकारी, देवरिया ने शैक्षिक योग्यताओं तथा चयन समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच करने के पश्चात अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके अनुसरण में आवेदक ने पूर्वांचल जूनियर हाई स्कूल में सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे द्वारा प्रस्तुत सभी अंकपत्र स्वप्रमाणित थे और साक्षात्कार के समय उसके मूल अंकपत्रों का चयन समिति के सदस्यों द्वारा विधिवत् सत्यापन किया गया था। प्रत्येक दस्तावेज सही पाया गया और तदनुसार उसे अनुमोदन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को अग्रेषित किया गया। अतः नियुक्ति पत्र जारी करने में प्रबंधन अथवा प्रबंधक की ओर से कोई दोष नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे ने दिनांक 30.04.2021 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके पश्चात प्रबंधन द्वारा उसे कोई वेतन नहीं दिया गया।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे द्वारा प्रस्तुत टी.ई.टी. प्रमाण-पत्र कूटरचित दस्तावेज था। परिणामस्वरूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया गया और उसके परिणामस्वरूप सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को विधिवत् दी गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित अपराध में आवेदक किसी भी प्रकार से लाभार्थी नहीं है, क्योंकि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसी के द्वारा स्वप्रमाणित किए गए थे और कथित टी.ई.टी. प्रमाण-पत्र भी उसी ने स्वयं तैयार किया था, जो दिनांक 15.12.2022 की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 के



अंतर्गत दस्तावेजों का सत्यापन करने तथा अपना समाधान दर्ज करने के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर अनुमोदन प्रदान करने का दायित्व था। अतः जांच उचित रूप से नहीं की गई और जांच अधिकारी ने अज्ञात कारणों से बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका के संबंध में जांच नहीं की तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के बावजूद यांत्रिक रूप से संज्ञान ले लिया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसलिए संपूर्ण कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि संबंधित तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात अनुमोदन प्रदान करना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया का कर्तव्य था और उसके पश्चात संस्था का प्रबंधक विधि द्वारा नियुक्ति-पत्र/कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने के लिए बाध्य था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 120-बी भा.दं.सं. के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसी अवैध कार्य को करने के लिए पक्षकारों के मध्य कोई समझौता हुआ था।
9. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड बनाम डॉली सतीश गांधी और अन्य, आपराधिक अपील संख्या निरंक, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 18267 वर्ष 2025, दिनांक 15.05.2026 को निर्णीत; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अयूब खान नूर खान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 7728 वर्ष 2012, दिनांक 08.11.2012 को निर्णीत; इस न्यायालय की समन्वय पीठ के दीपा मगलीना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य, रिट-ए संख्या 10843 वर्ष 2025, दिनांक 17.11.2025 को निर्णीत; इस न्यायालय की समन्वय पीठ के विनय कुमार द्विवेदी और 7 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



राज्य और 5 अन्य , रिट-ए संख्या 5462 वर्ष 2019, दिनांक 06.03.2024 को निर्णीत;
तथा इस न्यायालय की समन्वय पीठ के दिवाकर नाथ त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
और अन्य , आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2213 वर्ष 2025 में दिए गए निर्णयों पर भरोसा
किया है।

10. 10. अयाउबखां नूरखां पठान (उपर्युक्त) में यह निर्धारित किया गया है कि “पीड़ित व्यक्ति”
में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता, जिसे केवल मनोवैज्ञानिक अथवा काल्पनिक क्षति हुई
हो। अतः पीड़ित व्यक्ति अनिवार्य रूप से ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके अधिकार अथवा
हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित या संकटग्रस्त हुए हों। दिवाकर नाथ त्रिपाठी (उपर्युक्त) में
कहा गया है कि ऐसी निरर्थक शिकायतों के कारण न्याय के पहियों को अवरुद्ध नहीं होने
दिया जा सकता, जहां शिकायतकर्ता स्वयं किसी भी प्रकार से पीड़ित अथवा प्रभावित व्यक्ति
नहीं है। दीपा मैगलीन (उपर्युक्त) में यह अवलोकित किया गया है कि प्रमाण-पत्रों की वैधता
निर्धारित करने तथा परिणामी आदेश पारित करने की शक्ति केवल जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी को प्राप्त है।
11. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने
प्रस्तुत किया कि संस्था की प्रबंधन समिति, अपने प्रबंधक के माध्यम से, नियुक्ति प्राधिकारी
है और किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन करना
प्रबंधक का कर्तव्य है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा दिनांक 15.10.2015
को जारी अनुमोदन से यह स्पष्ट है कि किसी तथ्य को छिपाने अथवा गलत रूप में प्रस्तुत
करने की स्थिति में दायित्व प्रबंधक तथा संबंधित अभ्यर्थी का होगा। सभी दस्तावेजों का
सत्यापन करना प्रबंधक का कर्तव्य था। तथापि, सेवा पुस्तिका के अनुसार, उसमें आवेदक
आशुतोष धर दुबे के टी.ई.टी. परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण होने का कोई उल्लेख



नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने केवल प्रबंधन समिति द्वारा उसके प्रबंधक के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव एवं दस्तावेजों पर कार्रवाई की। प्रबंधक ने आशुतोष धर दुबे की सेवा पुस्तिका तैयार की और शैक्षिक योग्यता के कॉलम में टी.ई.टी. प्रमाण-पत्र का कोई उल्लेख नहीं किया। अतः उसने एक ऐसे अयोग्य एवं अपात्र व्यक्ति को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया, जिसके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं थी। जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से आवेदक के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बनता है। अतः वर्तमान आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

12. प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल और अन्य, 1992 एससीसी (क्रिमिनल न्यायालय) 426*; आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, 1960 सर्वोच्च न्यायालय (एससी) 94; बिहार राज्य और अन्य बनाम श्री पी.पी. शर्मा और अन्य, 1991 सर्वोच्च न्यायालय (एससी) 194; रतनलाल बनाम प्रहलाद जाट और अन्य, 2017 सर्वोच्च न्यायालय (एससी) 936; हरिओम शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य, 2021 सर्वोच्च न्यायालय (ऑल न्यायालय) 635; तथा मेसर्स जंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और अन्य बनाम मोहम्मद शरफुल हक और अन्य, 2004 सर्वोच्च न्यायालय (एससी) 1380 में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

13. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में यह स्थापित विधि है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत शक्ति एक असाधारण शक्ति है और उच्च न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग विरल मामलों में ही, केवल विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने अथवा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। *रतनलाल (उपर्युक्त)* में यह निर्धारित किया गया है कि



आपराधिक न्यायशास्त्र में लोकस स्टैंडी की अवधारणा लागू नहीं होती और कोई भी व्यक्ति आपराधिक विधि को गतिशील कर सकता है।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अभिलेख के परिशीलन और ऊपर उल्लिखित विधिक स्थिति के दृष्टिगत, यह विवादित नहीं है कि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे ने संस्था में सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया था और संस्था की चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया था, जिसमें संस्था के प्रधानाचार्य (आवेदक) तथा अन्य सदस्य सम्मिलित थे। यह भी विवादित नहीं है कि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे के साक्षात्कार तथा उसके शैक्षिक दस्तावेजों की जांच के पश्चात उसके चयन के संबंध में रिपोर्ट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजी गई थी। यह निर्विवाद है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.10.2015 को अपना अनुमोदन प्रदान किया। अभियोजन के अनुसार, सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे ने चयन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की थीं। यह भी विवादित नहीं है कि की गई शिकायत तथा उसके पश्चात की गई जांच के परिणामस्वरूप वर्ष 2011 से संबंधित आशुतोष धर दुबे का टी.ई.टी. प्रमाण-पत्र कूटरचित पाया गया। आवेदक का यह तर्क है कि आशुतोष धर दुबे ने ही अपनी शैक्षिक योग्यताओं सहित टी.ई.टी. प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की थीं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि सेवा पुस्तिका लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई थी और प्रबंधक केवल उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। अतः सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे की योग्यताओं में से एक के रूप में टी.ई.टी. का उल्लेख न किए जाने की कोई लिपिकीय त्रुटि आवेदक अभिषेक कुमार शाही की इस मामले में संलिप्तता स्थापित नहीं करती है। जांच अधिकारी ने साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात यह पाया है कि अभियुक्तों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा और कूटरचित योग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर सह-अभियुक्त



आशुतोष धर दुबे को संस्था में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया। चाहे जो हो, आशुतोष धर दुबे का सहायक अध्यापक के पद पर चयन कूटरचित टी.ई.टी. प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया था। दोनों अभियुक्तों ने षड्यंत्र किया था अथवा नहीं, यह दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला विषय है। इस स्तर पर यह न्यायालय साक्ष्य की जांच एवं मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना लघु-विचारण के समान होगा।

15. आवेदक की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विधि के अनुसार सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे के चयन को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन करके स्वयं संतुष्ट होना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व था, जैसा कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) (शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 1978 में उल्लिखित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान वर्ष 1978 की नियमावली के नियम 10(5)(i)(ए) एवं (बी), (ii) की ओर आकर्षित किया है, जिसमें संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा योग्यता संबंधी दस्तावेज के सत्यापन का स्पष्ट शब्दों में प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें केवल यह प्रावधान है कि जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि अभ्यर्थी के पास न्यूनतम योग्यता है और चयन समिति द्वारा प्रक्रिया एवं नियमों का पालन किया गया है, तब वह अनुमोदन प्रदान करेगा। राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया कि अनुमोदन प्रदान करते समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि किसी तथ्य को छिपाए जाने की स्थिति में अनुमोदन वापस ले लिया जाएगा और सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे तथा प्रधानाचार्य (आवेदक) को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिससे यह



प्रदर्शित होता है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक नहीं था।

16. उपर्युक्त के दृष्टिगत, भले ही यह मान लिया जाए कि सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे के चयन को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वयं संतुष्ट होना तथा दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक था, तथापि संस्था के प्रधानाचार्य होने के कारण आवेदक केवल इस आधार पर अपराध किए जाने के दायित्व से बच नहीं सकता। विचारण न्यायालय को विधि के अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है, जो विचारण का सामना नहीं कर रहा है, यदि अभिलेख पर लाया गया साक्ष्य ऐसी कार्यवाही की अपेक्षा करता है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह तर्क कि मामले में आगे की जांच आवश्यक है, इस स्तर पर बलहीन है।

17. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचनाकर्ता वह व्यक्ति नहीं है जिसे धोखा दिया गया हो और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के दृष्टिगत वह कथित धोखाधड़ी एवं कूटरचना के अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश प्राप्त करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 120-बी, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं. के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता और कथित कृत्य सह-अभियुक्त आशुतोष धर दुबे द्वारा किए गए थे। उपर्युक्त तर्क में भी कोई बल नहीं है। **रतनलाल बनाम प्रहलाद जाट और अन्य** (उपर्युक्त) में यह निर्धारित किया गया है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में लोकस स्टैंडी की अवधारणा लागू नहीं होती और कोई भी व्यक्ति आपराधिक विधि को गतिशील कर सकता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सूचनाकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की



मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं था। दोनों अभियुक्तों ने आपस में मिलीभगत करके कूटरचना का अपराध किया था अथवा यह अपराध केवल उनमें से एक द्वारा किया गया था, यह विचारण का विषय है और इसके लिए साक्ष्य का मूल्यांकन आवश्यक है। अतः इस स्तर पर विचार के लिए यह पहलू महत्वपूर्ण नहीं है।

18. उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं बनता। अतः वर्तमान आवेदन में कोई मेरिट नहीं है और तदनुसार इसे **खारिज** किया जाता है।

14 अगस्त, 2026

अमित

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)